पत्रांक : 14/कोर्ट 02–05/2017 का0......743.../

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

निधि खरे, भा0प्र0से0,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 25/01/18

विषयः– प्रोन्नति के मामले में आरक्षण की सुविधा के सम्बन्ध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या–W.P.(S) No.-3792/2016–अमरेन्द्र कुमार सिंह बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक–27.02.2017 को पारित मौखिक आदेश के अनुसार झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा 4(2)(क) के द्वितीय परन्तुक के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गयी है।

उल्लेखनीय है कि झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा 4(2)(क) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार परन्तु यह **और कि प्रोन्नति के मामले में केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के** लिए इस धारा के **अधीन यथा उपबंधित अनुपात में आरक्षण किये जाने की व्यवस्था** है।

यद्यपि कि माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या– W.P.(S) No.-3792/2016–अमरेन्द्र कुमार सिंह बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में इस विभाग के स्तर से प्रतिशपथ पत्र दिनांक–16.08.2017 को दायर किया गया है तथा उक्त वाद की शीघ्र सुनवाई के लिए महाधिवक्ता, झारखण्ड से बारम्बार अनुरोध भी किया गया है। इतना ही नहीं

कृ0पृ0उ0

Scanned by CamScanner

वाद में अंतिम आदेश शीघ्र पारित करने के लिए Interlocutory application (I.A.) भी दिनांक–20.11.2017 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथापि अभी तक माननीय उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय प्राप्त नहीं हो पाया है।

उपर्युक्त स्थिति में यह संसूचित करना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रसंगाधीन वाद में अंतिम निर्णय तक प्रोन्नतियाँ बाधित रहेंगी।

विश्वासभाजन,

(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 14/कोर्ट 02–05/2017 का0 743 /राँची, दिनांक– 25/01/18

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 14/कोर्ट 02–05/2017 का0 743 /राँची, दिनांक– 25/01/18

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव कोषांग को मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव। 25/1/18

Scanned by CamScanner